कार्यालयः ज़िला मत्स्य पदाधिकारी, खूँटी।

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना 01/2021–22

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड रॉची के पत्रांक 648/दिनांक 21/05/2021 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जिर्णोद्धार योजना (प्रस्तावित) के अंतर्गत पूर्व वर्ष की भांति खूँटी जिला में मत्स्य स्पॉन की आपूर्ति हेतु हैचरी संचालक – मत्स्य स्पॉन उत्पादक –सह– आपूर्तिकर्ता से मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. निविदादाता का नाम– जिला मत्स्य पदाधिकारी, खूँटी।
2. अग्रधन राशि– 25,000/– (जिला मत्स्य पदाधिकारी, खूँटी के पदनाम से खूँटी में भूगतेय बैंक ड्राफ्ट)
3. निविदा प्रपत्र प्राप्ति का स्थान – जिला मत्स्य कार्यालय, खूँटी
4. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय – 11/06/2021 एवं 11:30 बजे पूर्वाहन तक
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय– 11/06/2021 एवं 12:30 बजे अपराहन
6. निविदा की विस्तृत शर्तें www.khunti.nic.in एवं कार्यालय के सूचना पटट पर देखा जा सकता है।
7. दिनांक 11/06/2021 को समय 12: 30 बजे अपराहन उपायुक्त, खूँटी द्वारा गठित समिति के समक्ष निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में जिला कल्याण पदाधिकारी, खूँटी के कार्यालय कक्ष में निविदा खोली जाएगी।

जिला मत्स्य पदाधिकारी,
खूँटी।

कार्यालयः जिला मत्स्य पदाधिकारी, खूँटी।
अतिअल्पकालीन निविदा

आवश्यक शर्तें

1. हैचरी संचालक –सह स्पॉन आपूतिकर्त्ता के पास मत्स्य हैचरी होनी चाहिए। स्थानीय मत्स्य हैचरी (विभाग द्वारा अनुदानित दर पर निर्मित संचालक को समान मूल्य दर पर प्राथमिकता दी जाएगी।
2. हैचरी संचालक –सह स्पॉन आपूतिकर्ता को अपने मत्स्य हैचरी की संख्या– एवं उपलब्ध ब्रुडर का आंकड़ा देना अनिवार्य है।
3. हैचरी संचालक– सह स्पॅन आपूतिकर्ता को मत्स्य हैचरी का प्रतिचरण स्पॉन उत्पादन क्षमता से अवगत कराना अनिवार्य होगा।
4. 'आपूर्ति किये जाने वाले स्पॉन में भारतीय मेजर कार्प (रोहू कतला मृगल) मछली का होना अनिवार्य होगा।
5. हैचरी संचालक –सह स्पॉन की आपूर्ति पोलिथिन बैग पैकिंग में जिला मुख्यालय में पहुँचाने के उपरान्त अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रखण्डों के कलस्टर स्थल तक जीवित एवं स्वस्थ अवस्था में पहूँचाकर करना होगा।
6. प्रति पोलिथिन बैग में आपूर्ति किये जाने वाले स्पॉन की संख्या हैचरी से वितरण स्थल तक की दूरी के अनुसार होगी। जिससे स्पॉन की उत्तरजीविता बनी रहे। प्रति पोलिथिन बैग में न्यूनतम 30 हजार तथा अधिकतम 50 हजार (आयतन में 100 मी0ली0) स्पॉन की पैकिंग स्वीकार की जाएगी। प्रत्येक खेप स्पॉन आपूर्ति हेतु सफल निविदादाता को कार्यादेश के साथ कलस्टर के अनुरूप प्रति पोलिथिन बैग में आपूर्ति किये जाने वाले स्पॉन की संख्या का निर्धारण संलग्न कर सूची उपलब्ध कराई जाएगी।
7. पूर्व में सरकारी क्षेत्र में स्पॉन आपूर्ति का विगत 3 वर्षों का अनुभव (2018–19, से 2020–21) एवं ब्यौरा निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. विगत दो वर्षों 2019–20 एवं 2020–21 का आयकर रिटर्न देना अनिवार्य होगा।
9. वित्तीय वर्ष 2020–21 का (GSTin) रिटर्न देना अनिवार्य होगा।
10. निविदादाता को पैन कार्ड की छायाप्रति तथा वाणिज्यकर विभाग का पंजीयन (GSTin) की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। साथ ही ट्रेड लाईसेंस से संबंधित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का स्व–अभिप्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. निविदा के साथ सभी प्रतियाँ/छायाप्रतियाँ स्वअभिप्रमाणित होना आवश्यक है।
13. निविदा दो अलग–अलग लिफाफे में प्रस्तुत किया जाएगा। एक लिफाफे में उपर्युक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेज रखे जायेंगे तथा इस लिफाफे पर "तकनीकी प्रस्ताव" अंकित किया जायेगा। इस लिफाफे में तकनीकी विवरण के अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के रूप में मो0–25000/–(पच्चीस हजार) रूपया का बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया गया हो। एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, खूँटी के पदनाम से खूँटी में भुगतेय होगा।

   दूसरे लिफाफे में निविदा पत्र , (दर प्रस्ताव, GST शुल्क, परिवहन व्यय सहित) रखा जायेगा। इस लिफाफे पर "वित्तीय प्रस्ताव" अंकित किया जायेगा। इस प्रकार बनाये गये दो लिफाफे को एक लिफाफे में डालकर जिस सामग्री के लिए निविदा है उसका नाम अंकित कर तथा लिफाफे को मोहर बंद कर प्रस्तुत किया जाना है। इकाईयों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी प्रस्ताव वाले लिफाफे को पहले खोला जायेगा। यदि निविदादाता तकनीकी प्रस्ताव में सफल होता है तभी उसके द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव को खोला जायेगा। इसलिए वित्तीय प्रस्ताव सुस्पष्ट अंक एवं शब्दों में अंकित होना चाहिए। तथा आपूर्तिकर्ता /संबंधित उपक्रम का मोहर होना चाहिए।
14. हैचरी संचालक – सह स्पॉन की आपूर्ति हैचिंग के लगभग 60 घंटा बाद गुणवत्ता आधारित मानकों के अनुरूप तय समय सीमा के अन्दर जीवित एवं स्वस्थ आवस्था में पहूँचाकर देना होगा, गुणवत्ता के मापदण्डों के अनुसार आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित सफल निविदादाता को काली सूची में डालते हुए प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जाएगी तथा उसी दर पर द्वितीय सफल निविदादाता को आपूर्ति करने का आदेश दिया जाएगा"। इस संबंध में किसी न्यायालय में किसी प्रकार के वाद का दावा नहीं किया जा सकेगा।
15. निविदादाता किसी कारणवश स्पॉन आपूर्ति करने में असमर्थ हो जाता है तो उस स्थिति में प्रथम सफल निविदादाता की प्रतिभूति की राशि को जब्त की जाएगी तथा उक्त दर पर ही द्वितीय सफल निविदादाता को मौका दिया जाएगा।
16. निविदादाता को स्पॉन का दर (परिवहन एवं पैकेजिंग शुलक सहित) प्रति लाख की दर से अंकित करना होगा। सफल निविदादाता को स्पॉन आपूर्ति के समय स्वीकृत निविदा राशि का 10 प्रतिशत लाभुक (मत्स्य बीज उत्पादक) द्वारा एवं शेष 90 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा देय होगा। सरकार द्वारा स्पॉन का दर प्रति लाख 550/– रूपया निर्धारित है तथा जलाशय के छाड़न में संचयन हेतु आपूर्ति की जाने वाली स्पॉन का 100 प्रतिशत राशि विभाग द्वारा भुगतान की जाएगी।
17. निविदा **<u>दिनांक 11/06/2021</u>** के अपराह्न 11:30 बजे तक जिला मत्स्य कार्यालय, खूँटी में स्वीकार की जाएगी एवं उसी दिन निविदा 12:30 बजे अपराह्न में निर्धारित समिति के समक्ष खोली जाएगी। है। आपूर्तिकर्त्ता स्वयं एवं उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निविदा में भाग ले सकते हैं।
18. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार निविदा समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

(हस्ताक्षर) 02/6/21

जिला मत्स्य पदाधिकारी,
खूँटी।